न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 208 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. पारसमल पुत्र दलाराम जाति नायक निवासी गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0	01.	अणदाराम पुत्र नेमाराम
	02.	शिवलाल पुत्र नेमाराम
	03.	सोनाराम पुत्र नेमाराम जातिगण माली निवासीगण गुड़ा कलां तह0 सोजत, पाली।
	04.	नारंगी देवी पत्नी किशनाराम जाति नायक निवासी नायकों का बास, गुड़ा रामसिंह तह0 सोजत जिला पाली राज0।
	05.	कंवरी देवी पत्नी विरदसिंह जाति रावत निवासी गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।
	06.	प्यारी देवी पत्नी हजारी के का0मु0— 6 / 1 मदनलाल पुत्र प्यारी देवी जाति लखारा 6 / 2 शांता बाई पुत्री प्यारी देवी जाति लखारा
	07.	राजमल पुत्र रूपाराम जातिगण लखारा निवासीगण गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।
	08.	तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत उप0।

—: **निर्णय** :— दिनांक : 08/10/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी हक हकूक एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि जिसके नये खसरा नंबर 355 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 356 रकबा 0.5100 हैक्टर कुल खसरा 02 रकबा 1.3600 हैक्टर की आयी हुई स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में चिपते ही खसरा नंबर 354 रकबा 2.5300 हैक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की कृषि भूमि आयी हुई हैं तथा दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 356 / 1219 रकबा 0.4000 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 4 नांरगी की कृषि भूमि है एवं पूर्व दिशा में खसरा नंबर 357 रकबा 5.5000 हैक्टर किस्म गै.मु. सेरिया एवं प्रार्थी कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा नंबर 349 रकबा 1.2200 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 5 से 7 की खातेदारी कृषि भूमि आयी हुई हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 ने नाजायज गिरोह बना रखा हैं। प्रार्थी के खेत के उतर, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में माठ रखी थी। जो उक्त अप्रार्थीगण ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश पूर्वक माठ को तोड़ दिया हैं। प्रार्थी द्वारा बार बार निवेदन किया गया कि मुझे मेरी भूमि का सीमाकंन व पत्थर गढी करवानी है, पटवारी हल्का या रेवेन्यू टीम से नाप चौक करवाकर मुझे मेरी भूमि पर फसल की रखवाली

परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 किसी भी तरह से मौके पर नाप चौक करवाने हेतु नहीं हैं। प्रार्थी को अप्रार्थी की इंच भूमि की आवश्यकता नहीं है न ही प्रार्थी अप्रार्थी भूमि को हड़पना चाहता है उल्टा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहते है तथा आये दिन पुलिस कचहरी का डर दिखाकर धमकाते है तथा जान से मारने की धमकियां भी अप्रार्थीगण द्वारा दी जा रही हैं अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के खेत की उत्तर एवं दक्षिणी व पश्चिमी दिशा में की गई माठ को बिखेर देने से प्रार्थी की उतरी, दक्षिणी एवं पश्चिम दिशा की माठ आज भी खुली है जिसकी वजह से आये दिन मवेशी गाय, भैस, वगैरा प्रार्थी के खेत में घुस जाते है तथा प्रार्थी के द्वारा बोई हुई फसलो का नुकसान पहुंचाते हैं। प्रार्थी अपनी फसल बचाने हेतु अपनी कृषि भुमि की नाप चौक कर पुनः तारबंदी/माठ/दीवार बनाना चाहता है। इसलिये प्रार्थी के खेत एवं अप्रार्थी के खेत की सीमा को कायम करवाना आवश्यक हैं अर्थात् सीमाकंन व पत्थर गढ़ी के पश्चात् प्रार्थी अपने खातेदारी कृषि भूमि की सीमा में तारबंदी/दीवार/माठ का निर्माण कार्य करवा सके। प्रार्थी ने अपनी कृषि भुमि के सीमाकंन हेतु तहसीलदार सोजत को पूर्व में आवेदन को पैमाईश हेतु पेश किया हैं। परन्तु पटवारी हल्का दिनांक 5/11/2024 को भूमि विवादित होने के कारण नाप चौक करने से मना कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 08 को कृषि भुमि की पैमाईश हेतु बार बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 08 द्वारा आज दिन तक प्रार्थी की भुमि की पैमाईश नही किया गया है तथा भूमि विवादित है कि रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दी हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि भारी पुलिस ईमदाद के साथ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भुमि खसरा नंबर 355 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 356 रकबा 0.5100 हैक्टर कुल खसरा 02 रकबा 1.3600 हैक्टर का सीमाज्ञान पत्थर गढ्ढी रेवेन्यू टीम मय तहसीलदार, आर. आई व पटवारीगण से करवाया जावे अर्थात् प्रार्थी की कृषि भूमि के चारो माठो को कायम किया जाकर नेकम कायम किया जाने तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भुमि के चारो और तारबंदी पत्थर गढ्ढी, सिमेन्ट के पीलर, दीवारं लगाये जाने का आदेश दिया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 01 से 07 बावजूद सूचना/तामीली बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 8 पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी हक हकूक एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि जिसके नये खसरा नंबर 355 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 356 रकबा 0.5100 हैक्टर कुल खसरा 02 रकबा 1.3600 हैक्टर की आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के पड़ोसी खातेदारान के मध्य उक्त कृषि भूमि के बीच स्थित माठ व सीमाओं तथा धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे

रा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम ाये जाने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया हैं। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी हक हकूक एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि जिसके नये खसरा नंबर 355 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 356 रकबा 0.5100 हैक्टर कुल खसरा 02 रकबा 1.3600 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

–: आदेशः–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी हक हकूक एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि जिसके नये खसरा नंबर 355 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 356 रकबा 0.5100 हैक्टर कुल खसरा 02 रकबा 1.3600 हैक्टर का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को सरें ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत